कार्यालय– स्टेट लेवेल नोडल एजेन्सी
समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन परियोजना
परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
एल्डिको कारपोरेट टॉवर, प्लाट नं0 टीसी–13/बी 16 अष्ठम तल (पूर्वी हिस्सा)
पॉवर हाउस क्रासिंग, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक 152 /एस.एल.डी.सी./ 2014–15 दिनांक 20 मार्च,2015

1. **समस्त उप निदेशक**
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश
2. **समस्त भूमि संरक्षण अधिकारी,**
   सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

विषयः– आनलाइन एम0आई0एस0 फीडिंग अपडेट किये जाने के सम्बन्ध में।

आई0डब्लू0एम0पी0 योजना में वेब आधारित एम0आई0एस0 फीडिंग के सम्बन्ध में निरन्तर अनुश्रवण किये जाने के उपरान्त भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, जिससे उच्च स्तर पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। इस कारण से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की किस्ते अवमुक्त किये जाने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। इस सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि इस कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ (डब्लू0सी0डी0सी0) की समीक्षा बैठकों में अवगत कराया गया कि भूमि संरक्षण अधिकारी, अवर अभियन्ता, लेखाकार के द्वारा एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु वांक्षित सूचनायें लगातार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं जिससे सूचनाओं को अपडेट करने में व्यवधान उत्पन्न होता है।

उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये स्पष्ट किया जाता है कि आनलाइन फीडिंग का प्रथम दायित्व आपका है। यदि आपके स्तर से अनुश्रवण कर अपडेट नहीं कराया जाता है तो इसे आपकी उदासीनता तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही माना जायेगा। **ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि तकनीकी विशेषज्ञ (डब्लू0सी0डी0सी0) द्वारा एम0आई0एस0 फीडिंग हेतु जो भी सूचनायें मांगी जाती हैं तत्काल उपलब्ध कराते हुये एम.आई.एस. अपडेट कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जो भी सूचनायें अवर अभियन्ता या लेखाकार के द्वारा दी जानी है वो भी तुरन्त तकनीकी विशेषज्ञ को प्राप्त हो जाये। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा यदि ऐसी सूचनायें मांगी जा रही हैं जो कतिपय कारणों से नहीं दी जा सकती हैं तो आप द्वारा लिखित रूप से तकनीकी विशेषज्ञ को सूचना न उपलब्ध कराये जाने के कारण सहित अवगत कराना होगा तथा उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।**

अन्त में स्पष्ट किया जाता है कि फरवरी 2015 तक का एम0आई0एस0 फीडिंग 25 मार्च 2015 तक अपडेट करना सुनिश्चित करें।

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पत्रांक /एस.एल.डी.सी./2014–15 दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ, डब्लू0सी0डी0सी0, आई0डब्लू0एम0पी0 उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन परियोजना, 23 सी, गोखलेमार्ग, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, पाण्डुनगर, कानपुर।
4. सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

ह0

(आञ्जनेय कुमार सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी